कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग अम्बेडकरनगर

पत्रांक 821 /14–9, दिनांक, अम्बेडकरनगर, अक्टूबर 16 /2017

सेवा में,

मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक,
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड,
क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी–221010.

विषयः– जनपद अम्बेडकरनगर में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड वाराणसी द्वारा राज्य मार्ग सं0 5 (अकबरपुर–शाहगंज–जौनपुर मार्ग) के किमी0 179–180 के मध्य दायीं पटरी पर ग्राम मंसूरपुर , तहसील–जलालपुर, अम्बेडकरनगर के गाटा संख्या–539 में प्रस्तावित पेट्रोल/डीजल पम्प के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.069778 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर–वानिकी प्रयोग एंव बाधक 03 वृक्षों के पातन की अनुमति की अनुमति के सम्बंध में।

सन्दर्भः– विशेष सचिव, उ0प्र0शासन का पत्र संख्या पी–111/14–2–2017–800 (110)/2017, दिनांक 05–10–2017 एंव मुख्य वन संरक्षक /नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 1067/11–सी0–एफ0पी0/यू0पी0/अदर्स/26519/2017 दिनांक 12–10–2017 ।.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो आपको एंव इस कार्यालय को पृष्ठांकित है, जिसके द्वारा जनपद अम्बेडकरनगर में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड वाराणसी द्वारा राज्य मार्ग सं0 5 (अकबरपुर–शाहगंज–जौनपुर मार्ग) के किमी0 179–180 के मध्य दायीं पटरी पर ग्राम मंसूरपुर , तहसील–जलालपुर, अम्बेडकरनगर के गाटा संख्या–539 में प्रस्तावित पेट्रोल/डीजल पम्प के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.069778 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर–वानिकी प्रयोग एंव बाधक 03 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति कतिपय शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गई है। अतः उक्त विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्र के अनुपालन में बिन्दु संख्या–7 के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से निम्न प्रकार आप द्वारा जमा की जानी अपेक्षित है–

क्र0 सं0	धनराशि का मद	कुल क्षे0 हे0 में	दर प्रति हे0 रू0 में	कुल धनराशि रू0में	किसके पक्ष में धनराशि जमा किया जाना है	भुगतान का शहर
1	2	3	4	5	6	7
1	संरक्षति वन भूमि का नेट प्रेजेन्ट वैल्यू (एन0पी0वी0)	**0.069778**	**626000/**	**43681.00**	**आनलाइन चालान के माध्यम से कैम्पा के खाता में कालम–5 में अंकित धनराशि जमा करें।**	नई दिल्ली
2	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि (100 पौध)	**0.16**	–	**47260.00**	**आनलाइन चालान के माध्यम से कैम्पा के खाता में कालम–5 में अंकित धनराशि जमा करें।**	नई दिल्ली

यह मूल्य अंतरिम है। शासन द्वारा अन्तिम दरें तय किए जाने पर अतिरिक्त धनराशि ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से देय होगी। संदर्भित पत्र द्वारा अपेक्षित शेष अन्य बिन्दुओं की अनुपालन आख्या एवं उपरोक्त धनराशि जमा किए जाने की पावती रसीद सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(गंगा प्रसाद)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग अम्बेडकरनगर

पत्रांक व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) उ0प्र0, लखनऊ।
2– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
3– वन संरक्षक, सरयू वृत्त, उ0प्र0, फैजाबाद।

(गंगा प्रसाद)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग
अम्बेडकर नगर